भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1560** जिसका उत्तर

सोमवार, **2 अगस्त**, 2021 (11 श्रावण 7 1943 (शक) को दिया जाना है

पोत परिवहन उद्योग में जनशक्ति को कुशल बनाने के लिए सहमति ज्ञापन

1560. श्री कुमार कोतकर:

श्री फूलो देवी नेतम:

श्री दिग्विजय सिंह:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोत परिवहन उद्योग में जनशक्ति को कुशल बनाने, पुन: कुशल बनाने और अधिक कुशल बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ किए गए सहमति ज्ञापन (एमओयू) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सहमति ज्ञापन के आरंभ से अब तक कोई उपाय कार्यान्वित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सहमति ज्ञापन (एमओयू) के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत कितने व्यक्तियों को कुशल बनाने, पुन: कुशल बनाने तथा अधिक कुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है;

(ङ) सहमति ज्ञापन (एमओयू) के तहत दूरस्थ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकसित पोत परिवहन केबिनों की संख्या कितनी है और इसका ब्यौरा क्या है; और

(च) आज की तारीख तक सहमति ज्ञापन (एमओयू) के उद्देश्यों के लिए आवंटनों और संवितरणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ 20 अगस्त, 2020 को संयुक्त रूप से कौशल विकास शुरू करने और तेजी से परिवर्तित हो रही प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तथा सागरमाला कार्यक्रम व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के उद्देश्यों के अनुसार पत्तन आधारित

समृद्धि प्रदान करने हेतु पत्तनों एवं समुद्री क्षेत्र में सहज क्षमताओं का दोहन करने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता ज्ञापन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के बीच सहयोग की एक रूपरेखा स्थापित करता है। इसके साथ ही, एमओपीएसडब्ल्यू ने दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और सागरमाला के संयोजन मोड में समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए मई, 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग): जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) और चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) में बहुकौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) पहले से ही प्रचालनरत हैं। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए एमओपीएसडब्ल्यू ने विशाखापट्टणम पत्तन न्यास में एमएसडीसी की स्थापना की पहचान की है।
डीडीयू-जीकेवाई सागरमाला संयोजन कार्यक्रम के तहत कुल 57 योग्यता पैक्स (क्यूपी) पहले ही विकसित और कार्यान्वित किए जा चुके हैं। एमओपीएसडब्ल्यू और एमएसडीई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत आगे 10 और योग्यता पैक्स (क्यूपी) विकसित करने की योजना है। महापत्तनों में एमएसडीसी के अतिरिक्त, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से कई कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

(घ): डीडीयू-जीकेवाई एवं सागरमाला संयोजन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कुल 3,622 व्यक्तियों ने कौशल युक्त बनने, नए कौशल सीखने और कौशल में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षणों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ): कोविड-19 के कारण कौशल विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है। महामारी की स्थिति खत्म होने के बाद, मांग के आधार पर, शिपिंग केबिनों को विकसित किया जा सकता है।

(च): कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शुरू होने से लेकर अब तक, 58.98 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति दी गई है और डीडीयू-जीकेवाई एवं सागरमाला संयोजन के अंतर्गत राज्यों को 22.62 करोड़ रु. की राशि पहले ही जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई और जेएनपीटी में स्थित एमएसडीसी द्वारा 50.47 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। डीडीयू-जीकेवाई एवं सागरमाला संयोजन कार्यक्रम के विवरण और एमएसडीसी के व्यय के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

अनुबंध I

जेएनपीटी में प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण (प्रारंभ अर्थात जून, 2019 से)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम/वर्ष	प्रशिक्षित
1	भारी मोटर वाहन	115
2	वेयरहाउसर पैकर	40
3	कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	295
4	कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एक्जीक्यूटिव	187
5	प्रलेखन सहायक	174
6	इन्वेंटरी क्लर्क	155
7	वेयरहाउस पिकर	88
	कुल	1054

सीएचपीटी में प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण (प्रारंभ अर्थात सितंबर, 2019 से)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम/वर्ष	प्रशिक्षित
1	कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	72
2	गोदाम गुणवत्ता परीक्षक	83
	कुल	155

सागरमाला-डीडीयू-जीकेवाई संयोजन कार्यक्रम के चरण-I में प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण

क्रम सं.	राज्य	प्रशिक्षित
1	आंध्र प्रदेश	40
2	कर्नाटक	320
3	महाराष्ट्र	981
4	ओडिशा	388
5	तमिलनाडु	249
	कुल योग	1978

सागरमाला-डीडीयू-जीकेवाई संयोजन कार्यक्रम के चरण-II में प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण

क्रम सं.	राज्य	प्रशिक्षित
1	आंध्र प्रदेश	219
2	तमिलनाडु	139
3	केरल	77
	कुल योग	435

डीडीयू-जीकेवाई एवं सागरमाला संयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण का विवरण

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत राशि (रु.)	जारी की गई राशि (रु.)
1	गुजरात	10,85,58,225	3,61,86,075
2	महाराष्ट्र	15,10,58,461	4,27,21,432
3	आंध्र प्रदेश	5,98,17,365	5,98,17,365
4	तमिलनाडु	10,67,39,304	2,41,82,308
5	केरल	4,80,00,980	1,60,00,327
6	पश्चिम बंगाल	6,32,45,734	2,10,81,911
7	कर्नाटक	1,52,00,000	76,37,000
8	ओडिशा	3,72,06,184	1,86,03,092
	कुल योग	58,98,26,253	22,62,29,510

एमएसडीसी द्वारा संवितरण का विवरण

क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसियां	संवितरण/व्यय का विवरण (रु.)
1	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	41,37,929
2	चेन्नई पत्तन न्यास	9,10,000
	कुल	50,47,929

*****